भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1964

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: ओडिशा के किसानों के लिए विशेष योजना

1964. श्री अनन्त नायक:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ओडिशा के किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों, जैविक कृषि और कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना चला रही है;

(ख) ओडिशा में किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परम्परागत कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और अन्य योजनाओं का कितना लाभ उठाया है;

(ग) क्या सरकार ओडिशा के जनजातीय और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम चला रही है;

(घ) ओडिशा के किसानों को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात, बाढ़, सूखा) से बचाने के लिए कौन-कौन सी विशेष नीतियां बनाई गई हैं; और

(ड.) ओडिशा में फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और उनके दावों के निपटान की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार की योजनाओं के अलावा, ओडिशा राज्य सरकार के अनुसार रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (जलनिधि) और जल की कमी वाले क्षेत्रों में सस्टेनेबल हार्नेसिंग आफ ग्राउंड बाटर दो सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रमाणित बीज पंजीकृत निजी डीलरों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/बड़े पैमाने पर आदिवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (पीएसीएस/एलएएमपीसीएस) के माध्यम से किसानों को डीबीटी मोड में रियायती दर (50% तक सब्सिडी) पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सब्सिडी राशि राज्य क्षेत्र की योजना 'इनपुट सब्सिडी आन सीड्स' से सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

(ख): भारत सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत ओडिशा के किसानों को शुरुआत से लेकर अब तक 19 किस्तों के माध्यम से 12,348.65 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। ओडिशा में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी होने के साथ दिनांक 24.02.2025 तक 34,95,147 किसानों ने पीएम किसान के तहत सहायता का लाभ उठाया है।

ओडिशा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, आरकेवीवाई5-डीपीआर के तहत वर्ष 2024-25 में 5,31,044 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी अवधि में, राज्य योजना से किसानों को 49,174 मशीनें और कृषि मशीनीकरण उप मिशन से 12,821 मशीनें वितरित की गई हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत, जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से, पीकेवीवाई के तहत, ओडिशा

राज्य के 70,026 किसानों को शामिल करते हुए जैविक खेती के तहत 45800 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 92.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग): पीएम किसान योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) किसानों को भी सहायता प्रदान कर रही है। दिनांक 24.02.2025 तक 25,430 किसानों ने पीएम किसान सहायता का लाभ उठाया है। इसी तरह सीएम किसान (एक राज्य क्षेत्र की योजना) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए 2000 रुपये प्रति फसल सीजन की दर से कुल 4000 रुपये प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि विभिन्न कृषि इनपुट की खरीद के साथ-साथ किसान की पसंद के आधार पर क्षेत्र संचालन में श्रम शुल्क और अन्य निवेशों पर होने वाले खर्च को पूरा किया जा सके।

(घ): ओडिशा के किसानों को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार ने निम्न के कार्यान्वयन की सूचना दी है

I. आपदा के बाद फसलों की बुवाई के लिए प्रभावित किसानों की बीज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीज आरक्षित नीति।

II. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना।

III. आपदा के बाद की स्थितियों से निपटने हेतु राज्य के लिए आकस्मिक योजना तैयार की जा रही है और हर वर्ष उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ङ.): ओडिशा राज्य में फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत अब तक लाभान्वित किसानों की संख्या तथा दावों के निपटान की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

फसल सीजन	**भुगतान किए गए दावे (करोड़ रुपए में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
'खरीफ' 2016	429.39	1,67,884
रबी' 2016-17	2.1	2055
ख़रीफ़' 2017	1764.59	7,52,688
रबी 2017-18	42.76	14,338
'खरीफ' 2018	1144.21	5,15,773
रबी 2018-19	30.47	9,309
'खरीफ' 2019	1099.16	3,96,082
रबी 2019-20	98.93	29,273
ख़रीफ़ 2020	559.82	2,68,786
रबी 2020-21	12.67	5,689
खरीफ 2021	1159.77	4,33,581
रबी 2021-22	7.94	3,321
ख़रीफ़ 2022	550.97	2,09,007
रबी 2022-23	11.48	3,539
ख़रीफ़ 2023	225.58	1,64,734
रबी 2023-24	0.25	प्रक्रियाधीन
ख़रीफ़ 2024		प्रक्रियाधीन

*****